


राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम



नेत्रदान पर्यवाड़ा

25 अगस्त से 8 सितंबर 2022

श्री टी.एस. सिंहदेव

मान. स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

अपील

नेत्रदान महादान

- नेत्रदान मृत्यु के बाद होता है। 6 घण्टे के अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए। नेत्रदान लेने को चिकित्सक द्वारा स्वयं घर जाकर नेत्र निकाले जाते हैं। जो कि निःशुल्क होता है।
- यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में नेत्रदान की घोषणा न की गई हो फिर भी रिश्तेदार मृत व्यक्ति का नेत्रदान कर सकते हैं।
- नेत्रदाता को मृत्यु पूर्व एड्स, पीलिया, कर्क रोग (ब्लड कैंसर), रेबीज, सेप्टीसिमिया, टिटनेस, हेपेटायटिस तथा सर्पदंश जैसी बीमारी है तो उसके नेत्र, नेत्रदान के लिए अयोग्य समझे जाते हैं।
- नेत्र आपरेशन पश्चात् तथा चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह (डायबिटीज) के मरीज भी नेत्रदान कर सकते हैं।
- नेत्रदान हेतु आप अपने नजदीक के नेत्र बैंक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला चिकित्सालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
- एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 दृष्टिहीन पुनः दुनिया देख सकते हैं।

नेत्रदान हेतु संपर्क करें

फोन नं.

- | | |
|--|-----------------|
| (1) डॉ. भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर ➡ | 0771-2890067 |
| (2) सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर ➡ | 07752-222301 |
| (3) अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान रायपुर (AIMS) ➡ | 0771-2577389 |
| (4) गणेश विनायक आई हॉस्पिटल रायपुर ➡ | 0771-4077741-42 |
| (5) श्री अरविंदो नेत्रालय, पचपेड़ी नाका रायपुर ➡ | 0771-2537773-74 |
| (6) श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, दुर्ग ➡ | 0788-4088855 |

आप सभी से अपील है कि इस पुनीत कार्य के लिए आगे आए और लोगों को नेत्र दान हेतु प्रेरित करें ताकि नेत्रहीन लोगों के जीवन में रोशनी लाई जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़